खाली बर्तन रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

रानी दुर्गावती वार्ड में पानी के लिए हाहाकार, सार्वजनिक कुएं की जमीन पर कब्जे का आरोप, प्रशासन ने फिर दिया जल्द समाधान का आश्वासन

छपारा नवभारत। नगर परिषद छपारा के वार्ड क्रमांक-1 रानी दुर्गावती वार्ड में पेयजल संकट को लेकर शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दोपहर करीब 11 बजे बड़ी संख्या में महिला-पुरुष ग्रामीणों ने चौराहे पर खाली बर्तन रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देकर उनकी समस्या का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया।

ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड की लगभग 400 लोगों की आबादी के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पूरी बस्ती एक हैंडपंप और एक पुराने कुएं के सहारे पानी की व्यवस्था कर रही है, जबकि दूसरा हैंडपंप करीब एक किलोमीटर दूर स्थित है।

ग्रामीणों के अनुसार, वार्ड के समीप शासकीय भूमि पर सार्वजनिक कुआं निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन संबंधित भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिए जाने और न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) लेने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई, एसडीएम, तहसीलदार तथा नगर परिषद में कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

वार्डवासियों ने बताया कि अधिकांश लोग प्रतिदिन मजदूरी के लिए करीब सात किलोमीटर दूर छपारा जाते हैं। पानी की समस्या के कारण उन्हें रोजाना काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे रोजगार भी प्रभावित हो रहा है।

मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और पटवारी ने प्रस्तावित सार्वजनिक कुएं के स्थल का निरीक्षण किया तथा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही कुएं के निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन के इस आश्वासन के क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं।

शासकीय चरनोई भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप

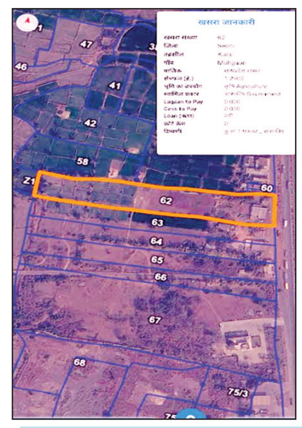

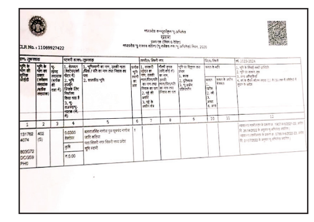

सिवनी नवभारत। जिले की कुरई तहसील के ग्राम मोहगांव सड़क में लगभग 8 एकड़ शासकीय घास भूमि (चरनोई भूमि) पर वर्षों से अवैध अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्राम मोहगांव सड़क निवासी अभिलाष राय ने जिला प्रशासन को शिकायत सौंपकर तत्काल जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

शिकायत के अनुसार ग्राम मोहगांव सड़क स्थित खसरा क्रमांक 62, 63 एवं 64 राजस्व अभिलेखों में शासकीय घास भूमि (चरनोई भूमि) के रूप में दर्ज हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 3.21 हेक्टेयर, यानी लगभग 8 एकड़ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से लगी हुई महत्वपूर्ण शासकीय भूमि है। शिकायत में बताया गया है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग एवं शासकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित है, लेकिन लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

शिकायत में अमनदीप सिंह भाटिया, अमरदीप उर्फ मिक्की भाटिया, सरदार सिंह भाटिया (राजा भाटिया) तथा अमन अरोरा के नामों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने शासकीय भूमि पर होटल, ढाबे, दुकान सहित अन्य पक्के निर्माण कर लिए हैं। साथ ही आरोप है कि भूमि के कुछ हिस्से अन्य लोगों को किराये पर दिए गए हैं, पीछे के हिस्से में खेती की जा रही है तथा अवैध रूप से शराब बिक्री जैसी गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित लोग खुलेआम यह कहते हैं कि उन्हें इस भूमि से कोई नहीं हटा सकता और उन्होंने सभी अधिकारियों को सेट कर रखा है। शिकायतकर्ता ने इसे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

शिकायत में कहा गया है कि शासकीय चरनोई भूमि ग्राम समुदाय की सामूहिक संपत्ति होती है और उसका उपयोग ग्रामीणों के हित में होना चाहिए। ऐसे में यदि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा बना रहता है तो इससे शासन को राजस्व हानि होने के साथ-साथ सार्वजनिक हित भी प्रभावित होता है। अब यह मामला जिला प्रशासन के समक्ष पहुंच गया है और ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्यवाही

शिकायत में कहा गया है कि ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में भी कई बार राजस्व अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण लगातार स्थायी स्वरूप लेता जा रहा है, जिससे शासन की करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि पर निजी नियंत्रण स्थापित होने की स्थिति बन रही है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि संपूर्ण भूमि का मौके पर निरीक्षण कर वास्तविक कब्जाधारियों की सूची तैयार की जाए, वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अवैध अतिक्रमण हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए तथा की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाए।

एक नजर में

भव्य मर्सकोले एवं पूनम चौधरी भोपाल हुए रवाना

बरघाट। शौर्य कराटे ट्रेनिंग सेंटर बरघाट के खिलाड़ी भव्य मर्सकोले एवं पूनम चौधरी 27-28 जून को भोपाल में आयोजित ओपन ऑल इंडिया कराटे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 26 जून की शाम भोपाल के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व शंकर दयाल बिसेन जी (समाजसेवी), सुजीत सूर्यवंशी (विधायक प्रतिनिधि न. प.) एवं सत्यांश भट्ट (विधायक प्रतिनिधि आईटीआई)ने खिलाड़ियों को तिलक कर शुभकामनाएँ दीं तथा उनके उज्वल प्रदर्शन की कामना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षक, शौर्य कराटे ट्रेनिंग सेंटर बरघाट के संचालक एवं जिला कराटे संघ के प्रशिक्षक सेंसेई संस्कार पटले हैं। यह दल जिला कराटे संघ के सचिव शिहान ओमकार कश्यप के नेतृत्व एवं सेंसेई राधिका कश्यप के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता में भाग ले रहा है।

कुपोषण उन्मूलन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

कुरई। जनजाति विकासखंड कुरई के अंतर्गत कटंगी एवं भोड़की ग्राम में कुपोषण उन्मूलन और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान का नेतृत्व यदुराज उइके, शिक्षक, ईएफए, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिवनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोग से पांच कुपोषित बच्चों के घर-घर जाकर उनके परिवारजनों से संपर्क किया गया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण तथा बच्चों की उचित देखभाल के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यदुराज उइके ने परिवारों को बताया कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए संतुलित पोषण, स्वच्छ वातावरण और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने अभिभावकों से आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा संचालित पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी तथा परिवारों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य कुपोषण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा समुदाय को पोषण संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उपयोगी बताया।

टीपू सुल्तान चौक में लंगर, रहमानी अखाड़े का जोरदार प्रदर्शन

सिवनी नवभारत। हड्डी गोदाम स्थित टीपू सुल्तान चौक में मोहर्रम की 10वीं तारीख पर धार्मिक आस्था और भाईचारे का सुंदर माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर रहमानी अखाड़ा (टीसीएस)द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया तथा ताजियों और आलम का इस्तकबाल किया गया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर मोहर्रम की परंपराओं और रस्मों को श्रद्धा एवं सम्मान के साथ निभाया।

कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और आमजन के लिए लंगर एवं शरबत का वितरण भी किया गया। पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया गया।

मोहर्रम की 10वीं तारीख को हड्डी गोदाम टीपू सुल्तान चौक में लोगों ने आपसी भाईचारे, एकता और धार्मिक सद्भाव का संदेश देते हुए भव्य तरीके से पर्व मनाया।

अब 7 जुलाई को केवलारी में होगी जनसुनवाई

सिवनी। आगामी 30 जून को विकासखंड केवलारी में प्रस्तावित विशेष जनसुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब यह विशेष जनसुनवाई 07 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जनसुनवाई में क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

ड्रीमलैंड सिटी में समस्याओं का अंबार, प्लाट खरीदने वाले हो रहे परेशान

सिवनी नवभारत। कटंगी रोड स्थित ग्राम डोरली छतरपुर में निर्मित ड्रीमलैंड सिटी मैं प्लॉट खरीदने वाले भूस्वामी अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं, यह कॉलोनी टीएनसी से पास होने के बावजूद भी यहां पर ना तो विकास के लिए कार्य किए गए और ना ही इस सुंदर बनाने के लिए कॉलोनाइजर द्वारा कोई प्रयास किए गए।

यहां पर रात्रि में आने जाने के लिए अंधकार रहता है यहां पर कहने को तो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है लेकिन वह लंबे समय से बंद पड़ी है जिसे सुधारने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए ऐसी स्थिति में बारिश के मौसम में विषैली जीव जंतु यहां पर वितरण करते रहते हैं जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

प्लाट बेचने से पूर्व कॉलोनाइजर द्वारा लोगों की सुविधा के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया गया लेकिन देखना है कि इस टंकी में पानी भरने के लिए जो बोर्ड खोला गया था वह सूख चुका है जिसके कारण यहां पर जल संकट की स्थिति बनी हुई है ऐसी स्थिति में लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। कटंगी मार्ग से इस कॉलोनी में प्रवेश करने के दौरान सड़क की स्थिति जर्जर होने से यहां से गुजरा किसी खतरे से काम नहीं है पूरे मार्ग में गिट्टी पत्थर के कारण चाहे पैदल हो या दो पहिया वाहन गुजारना मुश्किल होता है सड़क बनाने के लिए एक वर्ष पूर्व गिट्टी डाली गई थी जो आज भी सड़कों पर पड़ी है लेकिन सड़क का निर्माण न होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यह कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी है लेकिन वह रुचि नहीं ले रहे इस वार्ड में रहने वाले अंशुल अवस्थी ने मांग की है कि इस व्यवस्था को तत्काल सुधार जाए।

चार अपराधियों को हर माह लगानी होगी हाजिरी

नवभारत, जबलपुर। शहर के चार अपराधियों को अब हर माह थाने में हाजिरी लगानी होगी। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चार आदतन अपराधियों पर सख्ती करते हुए उन्हें निर्धारित तिथियों पर हर माह संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से हाजिरी लगाने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जारी आदेश के अनुसार, आधारताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदंबा कॉलोनी, महाराजपुर निवासी 19 वर्षीय लकी गोटिया, गोरखपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाथीताल कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय कबीर यादव को आगामी चार माह तक प्रत्येक माह की 15 और 25 तारीख को संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा।

15 दिन से गिरे बिजली के पोल, विभाग बेखबर, हादसे की आशंका

छपारा नवभारत। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक-1 रानी दुर्गावती वार्ड के पिंडरई गांव में आंधी-तूफान के दौरान गिरे बिजली के पोल 15 दिन बाद भी नहीं हटाए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।

गांव के खेतों और नाले के किनारे बिजली के तार जमीन पर फैले हुए हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। वहीं एक बिजली का पोल मकान की दीवार के सहारे टिका हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए उन्होंने अपने खर्च पर अस्थायी रूप से पोल खड़ा कराया, तब जाकर बिजली चालू हो सकी।

इसके बावजूद विभाग ने गिरे हुए पोल हटाने और तारों को सुरक्षित करने की पहल नहीं की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते गिरे हुए पोल और तार नहीं हटाए गए तो बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही जमीन पर पड़े तार चोरी होने की आशंका भी बनी हुई है, जिससे बिजली विभाग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का कलेक्टर ने लिया जायजा

सिवनी नवभारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 01 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कार्यक्रम स्थल पॉलिटेक्निक ग्राउंड एवं हेलीपैड स्थल, सेफ हाउस सहित सुकतरा हवाई पट्टी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत, सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समयसीमा में पूर्ण करने तथा प्रत्येक व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं त्रुटिरहित रखने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्रीमती मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक व्यवस्था का सूक्ष्मता से परीक्षण सुनिश्चित करें, ताकि कार्यक्रम का सफल एवं व्यवस्थित आयोजन हो सके।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, एसडीएम श्रीमती पूर्वी तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

किराए से देना

अनमोल रेसीडेंसी, आशिर्वाद पेलेस के सामने, वरदान नेत्रालय के बाजू मे ज्यारत मे टू-बी.एच.के. मकान एवं मकान से सटी 14X18 तीन दुकान किराए से देना है।

संपर्क करे

6264000057

लोकतंत्र सेनानी ख्यालसिंह भैरम का हुआ सम्मान

उगली नवभारत। भाजपा मंडल उगली के समस्त पदाधिकारियों द्वारा ग्राम सोनखार निवासी लोकतंत्र सेनानी एवं आपातकाल में मीसाबंदी रहे ख्यालसिंह भैरम के निज निवास पहुंचकर उनका भावपूर्ण सम्मान किया गया। आपातकाल के समय उस दौर में लोकतंत्र की रक्षा हेतु जेल की यातनाएं सहने वाले श्री भैरम जी के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति एवं त्याग को नमन करते हुए मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी सहित सभी पदाधिकारियों ने तिलक लगाकर, शाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा की भाजपा परिवार ऐसे लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। उनकी संघर्ष गाथा हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्त्रोत और अविस्मरणीय है। इस दौरान पूर्व से. सह.समिति उगली के अध्यक्ष हरीश बिसेन, मंडल अध्यक्ष विजय चौधरी, मंडल उपाध्यक्ष बसंत देशमुख, मंडल उपाध्यक्ष विष्णु श्रीवस्त्री, मंडल महामंत्री तीरथ ठाकरे, मंडल मंत्री घनश्याम ठाकरे, मंडल आईटी सेल प्रभारी तोमेश्वर रंगहडाले, बूथअध्यक्ष उमेद परते, रामकुमार बिसेन व शक्ति केंद्र से संयोजक शंकर गोस्वामी, युवा मोर्चा मनीष साहू उपस्थित रहे। आपने आपात कल के समय छिंदवाड़ा जेल में नव माह की यात्ना भोगकर देश के लिये अदम शाहस और भारत की आजादी के लिये भारत के लोकतंत्र को बचाने के अपनी महत्वपूर्ण भूमीका निभाई है.

आरोप ग्राम पंचायत लूघरवाड़ा में कराये जा रहे नाली निर्माण को लेकर बन रही विवाद की स्थिति, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

निजी भूमि पर नाली निर्माण का आरोप, सरपंच-सचिव पर मनमानी के आरोप

सिवनी नवभारत। जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत लुघरवाड़ा में पंचायत द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गांव के निवासी एवं भूमि स्वामी बलराज सिंह नागोत्रा ने ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती सुषमा बघेल और पंचायत सचिव अजय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत द्वारा पानी निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण उनकी निजी भूमि, खसरा नंबर 402 (एस) पर कराया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले न तो राजस्व विभाग से भूमि का सीमांकन कराया गया और न ही उनसे किसी प्रकार की अनुमति या सहमति ली गई। इसके बावजूद पंचायत द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया। बलराज सिंह नागोत्रा का कहना है कि यदि किसी भूमि को सार्वजनिक उपयोग में लिया जाना है तो उसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है। बिना सीमांकन और बिना सक्षम अनुमति के निजी भूमि पर निर्माण कराना न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि एक नागरिक के संपत्ति संबंधी अधिकारों का भी उल्लंघन है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सरपंच और सचिव ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नियमों को नजरअंदाज किया और मनमाने तरीके से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा मामला मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं संबंधित राजस्व अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा जांच पूरी होने तक निर्माण पर रोक लगाई जाए। साथ ही यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर समय-समय पर निजी भूमि पर अतिक्रमण और बिना सीमांकन निर्माण के विवाद सामने आते रहे हैं। ऐसे मामलों में राजस्व विभाग की भूमिका और सीमांकन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

इस मामले ने भी पंचायत की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निगरानी पर कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में हल्का नंबर-11 की पटवारी ज्योति बघेल से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसलिए उनका पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो पाया है।

अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है या मामला केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है ।

न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी वृत बंडोल तह. व जिला सिवनी

ईशतहार रा.प्र.क्र./ / /2026-27

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक/आवेदिका छत्तनं सनोडिया पिता देमन सनोडिया निवासी ग्राम हथनापुर द्वारा अपनी माँ ललती बाई सनोडिया पति देमन सनोडिया की मृत्यु ग्राम पिपरिया में दिनांक 25/10/2007 के मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत आवेदन पेश किया गया है।

उक्त प्रकरण की कार्यवाही इस न्यायालय में गतिशील है जिसके संबध में जिस किसी भी व्यक्ति को जो आपत्ति हो वह इस न्यायालय में पेशी दिनोंक या उसके पूर्व इस न्यायालय में स्वंय अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि को उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है उक्त नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

जारी दिनांक :- 11/06/2026
पेशी दिनांक :- 29/ 06 /2026

नायब तहसीलदार
सिवनी वृत बंडोल

न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी वृत बंडोल तह. व जिला सिवनी

ईशतहार रा.प्र.क्र./ / /2026-27

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक/आवेदिका टोपराम सनोडिया पिता मानक सनोडिया निवासी ग्राम चंदौरीकला द्वारा अपनी माँ गंगाबती पति मानक की मृत्यु ग्राम चंदौरीकला में दिनांक 22/08/2006 के मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत आवेदन पेश किया गया है।

उक्त प्रकरण की कार्यवाही इस न्यायालय में गतिशील है जिसके संबध में जिस किसी भी व्यक्ति को जो आपत्ति हो वह इस न्यायालय में पेशी दिनॉक या उसके पूर्व इस न्यायालय में स्वंय अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि को उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है, उक्त नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

जारी दिनांक :- 11/06/2026
पेशी दिनांक :- 29/ 06 /2026

नायब तहसीलदार
सिवनी वृत बंडोल

न्यायालय नायब तहसीलदार सिवनी वृत बंडोल तह. व जिला सिवनी

ईशतहार रा.प्र.क्र./ / /2026-27

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक/आवेदिका चैतराम सनोडिया पिता टोपराम सनोडिया निवासी ग्राम चंदौरीकला द्वारा अपनी माँ बाया बाई पति टोपराम की मृत्यु ग्राम चंदौरीकला में दिनांक 18/06/2018 के मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत आवेदन पेश किया गया है।

उक्त प्रकरण की कार्यवाही इस न्यायालय में गतिशील है जिसके संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को जो आपत्ति हो वह इस न्यायालय में पेशी दिनॉक या उसके पूर्व इस न्यायालय में स्वंय अथवा किसी वैद्य प्रतिनिधि को उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है, उक्त नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

जारी दिनांक :- 11/06/2026
पेशी दिनांक :- 29/ 06 /2026

नायब तहसीलदार
सिवनी वृत बंडोल